**संख्या:66/2019/161/35-4-2019**

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 22 जनवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा- प्रतापगढ़ से संबंधित कार्यो हेतु रू. 497.09 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 497.09 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तानबे लाख नौ हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू. में)

| | वि0स0 क्षेत्र का नाम | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी) | लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रतापगढ़ | कांपा में पतांवा रोड से लालजी पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.100 | 5.54 | 5.54 |
| 2 | प्रतापगढ़ | परसुरामपुर में सड़क से शिवमोहन शुक्ला पत्रकार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.100 | 5.82 | 5.82 |
| 3 | प्रतापगढ़ | कोनी(शिवगढ़) में काली माँ के मंदिर से रमेश राजदार के बाग तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.100 | 5.86 | 5.86 |
| 4 | प्रतापगढ़ | धरौली मधुपुर में पक्की सड़क से रमाशंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.100 | 5.84 | 5.84 |
| 5 | प्रतापगढ़ | ठकठैया में रामकुमार हरिजन के घर से नहर की पटरी तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.45 | 11.45 |
| 6 | प्रतापगढ़ | कन्धई किशुनगंज पक्की सड़क से यादव डेरी के सामने होते हुये बस्ती तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 0.200 | 11.27 | 11.27 |
| 7 | प्रतापगढ़ | कटारी में सुबेराज वर्मा के घर से रामचन्द्र पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.150 | 8.53 | 8.53 |
| 8 | प्रतापगढ़ | मंगापुर में सजन लाल गुप्ता के घर से छितन विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.35 | 11.35 |
| 9 | प्रतापगढ़ | मदुरा रानीगंज कालू पाल के घर से घनश्याम तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.32 | 11.32 |
| 10 | प्रतापगढ़ | सियराबांसी में विपिन चन्द्र मिश्रा के घर से रामदत्त मिश्रा के आवास तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 0.200 | 11.48 | 11.48 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | वि0स0 क्षेत्र का नाम | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी) | लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | प्रतापगढ़ | चिंगुडा सराय शंकर से पन्डाही पटेल के घर से सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.36 | 11.36 |
| 12 | प्रतापगढ़ | पदुमपुर पक्की सड़क से राम सिंह वर्मा बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.32 | 11.32 |
| 13 | प्रतापगढ़ | साल्हीपुर कंजास में पक्की सड़क से पाल बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.150 | 8.40 | 8.40 |
| 14 | प्रतापगढ़ | उसका में शीतला प्रसाद गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य | 0.260 | 15.47 | 15.47 |
| 15 | प्रतापगढ़ | चन्दौका में जगदीश सिंह के घर से प्रदीप सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.27 | 11.27 |
| 16 | प्रतापगढ़ | लौलीपोख्ता खाम में पक्की सड़क से रामआसरे के कूप तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.32 | 11.32 |
| 17 | प्रतापगढ़ | नरहरपुर पक्की सड़क से हीरा लाल तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.81 | 11.81 |
| 18 | प्रतापगढ़ | वेदू पटटी सम्पर्क मार्ग से सुशील पाल के घर होते हुये तिवारी बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.32 | 11.32 |
| 19 | प्रतापगढ़ | गौरीपटी में गोली विश्वकर्मा के घर से तुलसी राम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.33 | 11.33 |
| 20 | प्रतापगढ़ | पूरे राम चन्द्र में पुलिया से देवी प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.125 | 7.34 | 7.34 |
| 21 | प्रतापगढ़ | डंगरी में सूर्यभान सिंह के घर स्थित पिच रोड से अरूण के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.110 | 6.19 | 6.19 |
| 22 | प्रतापगढ़ | डंगरी भदौसी पिच रोड से त्रिभुवन तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.170 | 9.48 | 9.48 |
| 23 | प्रतापगढ़ | शिवराजपुर पक्की सड़क से भानु प्रताप सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.105 | 5.89 | 5.89 |
| 24 | प्रतापगढ़ | भदौंसी में अजीत सिंह पत्रकार के घर से डंगरी बार्डरतक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.215 | 11.96 | 11.96 |
| 25 | प्रतापगढ़ | चौबेपुर में पारा इण्टर कालेज वर्मा बस्ती में गजाधर वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.235 | 13.14 | 13.14 |
| 26 | प्रतापगढ़ | कल्याणपुर में गायत्री प्रसाद के घर से जवाहर मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.162 | 10.18 | 10.18 |
| 27 | प्रतापगढ़ | खैरागौर बारी पक्की सड़क से रामपाल वर्मा के घर होते हुये अमित मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 13.08 | 13.08 |
| 28 | प्रतापगढ़ | बझान में रमेश पाल के घर से राम बरन के घर होते हुये देवमती के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 13.49 | 13.49 |
| 29 | प्रतापगढ़ | बांसी में राम किशोर के दुकान से लक्ष्मी नारायण के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.155 | 8.79 | 8.79 |
| 30 | प्रतापगढ़ | शिवराजपुर में खडण्जा से मेवालाल गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.29 | 11.29 |
| 31 | प्रतापगढ़ | भवानीपुर पक्की सड़क से वर्मा बस्ती होते हुये खडण्जा तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.300 | 16.74 | 16.74 |
| 32 | प्रतापगढ़ | राजापुर सम्पर्क मार्ग से मनीष सिंह लम्मरदार के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.250 | 13.92 | 13.92 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| | वि0स0 क्षेत्र का नाम | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी) | लागत | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | प्रतापगढ़ | चन्द्रिकन तेजगढ़ सम्पर्क मार्ग से सुखनीपुर सुरेश गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.20 | 11.20 |
| 34 | प्रतापगढ़ | गौरबारी कटरा सम्पर्क मार्ग से अरविन्द गुप्ता राजू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.17 | 11.17 |
| 35 | प्रतापगढ़ | सण्डवा चन्द्रिका वन विभाग से अर्जुनपुर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.300 | 19.65 | 19.65 |
| 36 | प्रतापगढ़ | गड़वारा गैस एजेन्सी से गड़वारा बाजारतक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.120 | 7.88 | 7.88 |
| 37 | प्रतापगढ़ | पारा हमीदपुर रेलवे फाटक लीला का पुरवा मार्ग पर लखनामऊ ग्राम में पक्की सड़क से अशोक तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.150 | 9.74 | 9.74 |
| 38 | प्रतापगढ़ | धनीपुर पक्की सड़क से संतोष पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.63 | 11.63 |
| 39 | प्रतापगढ़ | पूरे भैया पक्की सड़क से रामसजीवन गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.20 | 11.20 |
| 40 | प्रतापगढ़ | भंगवा डंडवा में बाबूलाल वर्मा के घर से राकेश वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.63 | 11.63 |
| 41 | प्रतापगढ़ | चौखड़ पूरे अन्ती में शिवकुमार मौर्या के घर से राम किशोर मौर्या के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.69 | 11.69 |
| 42 | प्रतापगढ़ | इलाहाबाद फैजाबाद रोड भुपियामऊ से गौरीशंकर मंदिरतक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.16 | 11.16 |
| 43 | प्रतापगढ़ | अमरेन्द्र शर्मा के घर से पटखौली विक्की शर्मा के घर होते हुये बाबू लाल शर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.36 | 11.36 |
| 44 | प्रतापगढ़ | पूरे माधव सिंह मुख्य सड़क से शिव प्रताप सिंह अच्छे घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 0.200 | 11.22 | 11.22 |
| 45 | प्रतापगढ़ | गायघाट रोड से बहराइच गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य | 0.200 | 11.71 | 11.71 |
| 46 | प्रतापगढ़ | जैतीपुर कठार में पंचायत भवन के पास पक्की सड़क से गुडडू सिंह बीडीसी के घर तक कार्य | 0.220 | 12.30 | 12.30 |
| | | **योग वि0स0 क्षेत्र प्रतापगढ़** | **8.577** | **497.09** | **497.09** |

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार,केन्द्र रकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न(Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती ह तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग ह। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।

संख्या:66/2019/161(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रतापगढ़।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया ह अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही ह।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती ह।